XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 3181–तीन/14 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.7.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक निग0 3174–दो/12 में पारित आदेश दिनांक 19–08–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों । सदस्य	

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /14 रिव्यू 3181 III/14

गु पाली पुत्र पूरन पटेल
निवासी– ग्राम बकतोरी तेहसील गोरीहार
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभि. द्वारा आज दि 19.9.14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 19.9.14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. रामस्वरूप पुत्र श्यामलाल पटेल
निवासी– ग्राम बकतोरी तेहसील
गोरीहार जिला छतरपुर (म.प्र.)

2. म.प्र. शासन

.... अनावेदकगण

19.9.2014
प्रदीप श्रीवास्तव

रिव्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.08.14 में माननीय अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल के द्वारा अपने न्यायालयीन प्रकरण क्र. आर. 3174 II/12 में पारित किया।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से रिव्यू प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, माननीय न्यायालय के द्वारा अभिलेख में उपलब्ध रिकार्ड का परीशीलन विधि एवं तथ्यों के विपरीत किया।
2. यहकि, यह स्वीकृत तथ्य है कि अनावेदक द्वारा सीमांकन कराने हेतु अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था अनावेदक क्र. 1 का निगरानी मेमों का पैरा 2 से स्पष्ट है।
3. यहकि, माननीय न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह सीमांकन बावत कार्यवाही की गई है ना कि नक्शा तरमीम का।
4. यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा तेहसीलदार गौरीहार के आदेश दिनांक 10.03.2010 में पारित निर्णय का अंतिम पैरा के उक्त विवेचना